

भारत सरकार  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2099

उत्तर देने की तारीख : 12.03.2025

अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा

2099. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं में उच्च शिक्षा संतोषजनक है;
- (ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं और महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं और महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रिजजू)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं जैसे (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं, जो पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए कार्यान्वित की जाती हैं। तीनों योजनाओं के तहत, कुल छात्रवृत्तियों का 30% छात्राओं के लिए निर्धारित है, जबकि 50% से अधिक लाभार्थी छात्राएं हैं।

मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्तियों से सम्मानित लाभार्थियों के साथ-साथ महिला लाभार्थियों का विवरण संलग्न है। हालाँकि, लिंग-वार और/या राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है।

\*\*\*\*\*

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - पिछले 3 वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण									
	आंकलन वर्ष 2020-21			आंकलन वर्ष 2021-22			आंकलन वर्ष 2022-23		
राज्य	लाभार्थियों की संख्या	महिला	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	महिला	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	महिला	राशि (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार	278	180	0.10	295	179	0.10	44	28	0.01
आंध्र प्रदेश	12661	6794	9.69	15216	7883	11.32	3159	1671	2.40
असम	30456	16048	24.78	49106	26022	51.34	254	140	0.15
बिहार	43512	25483	18.12	19642	10777	9.55	1455	730	0.81
चंडीगढ़	123	78	0.05	117	85	0.05	6	6	0.00
छत्तीसगढ़	2198	1449	1.27	2744	1745	1.54	786	515	0.45
दिल्ली	3518	2263	1.08	2908	1868	0.86	372	262	0.12
गोवा	349	230	0.21	458	311	0.27	84	59	0.05
गुजरात	21289	11067	11.6	23519	11556	12.82	4353	2242	2.5
हरियाणा	5194	1674	3.31	7824	2686	4.58	1206	426	0.74
हिमाचल प्रदेश	500	291	0.24	637	364	0.29	157	94	0.08
जम्मू और कश्मीर	53725	28813	30.38	47574	26438	27.47	5722	3360	3.28
झारखंड	5918	3179	2.99	5494	2868	3.41	761	407	0.49
कर्नाटक	55081	31368	34.24	73830	39205	43.98	17262	9477	10.88
केरल	67583	40493	31.80	74271	41103	37.55	15787	9115	8.67
लद्दाख	1593	1120	0.91	905	622	0.50	63	47	0.03
मध्य प्रदेश	20430	12796	13.60	23622	13872	16.13	5255	3107	3.59
महाराष्ट्र	47333	28371	23.02	42110	22079	20.97	7137	3520	3.83
मणिपुर	4497	2507	3.82	4629	2606	3.93	701	412	0.57
मेघालय	7254	4919	4.88	5306	3488	3.63	614	433	0.42
मिजोरम	1144	659	0.85	1702	937	1.34	192	116	0.15
नागालैंड	6029	3488	4.88	6421	3630	5.45	1272	745	1.12
ओडिशा	3146	1728	1.91	4030	2158	2.40	779	431	0.44
पुदुचेरी	596	400	0.33	629	413	0.33	115	71	0.07
पंजाब	53450	28665	27.66	55430	28510	29.96	7570	4259	3.59
राजस्थान	27404	12819	19.39	30012	13041	21.26	7256	3363	5.17
सिक्किम	85	60	0.04	289	194	0.15	35	25	0.02
तमिलनाडु	44319	28346	24.79	52409	32109	29.18	14056	9299	8.23
तेलंगाना	18372	10186	14.63	20843	11655	16.80	1736	1075	1.48
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	57	32	0.02	78	47	0.03	12	6	0.00
त्रिपुरा	1004	518	0.63	1766	922	1.21	226	141	0.14
उत्तराखंड	4646	2902	3.37	5296	3301	3.85	729	466	0.52
उत्तर प्रदेश	114388	65698	81.22	134433	76371	100.24	24639	14686	18.31
पश्चिम बंगाल	5184	2498	5.49	6548	3172	7.09	812	367	0.97
<b>कुल</b>	<b>663316</b>	<b>377122</b>	<b>401.31</b>	<b>720093</b>	<b>392217</b>	<b>469.57</b>	<b>124607</b>	<b>71101</b>	<b>79.28</b>

स्रोत: एनएसपी/एनआईसी डेटाबेस।

\*वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े अंतिम हैं।

\*\*वित्त वर्ष 2023-24 - योजना को मंजूरी नहीं दी गई।

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना- पिछले 3 वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण									
	आंकलन वर्ष 2020-21			आंकलन वर्ष 2021-22			आंकलन वर्ष 2022-23		
राज्य	लाभार्थियों की संख्या	महिला	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	महिला	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	महिला	राशि (करोड़ रुपए में)
अंडमान और निकोबार	4	1	0.01	3	1	0.01	1	1	0.00
आंध्र प्रदेश	1808	628	4.43	2118	704	5.54	957	309	2.51
असम	7216	2415	19.08	9287	3862	26.93	1263	363	3.66
बिहार	7933	844	20.85	6733	654	17.66	2876	266	7.49
चंडीगढ़	6	2	0.02	7	1	0.02	5	1	0.01
छत्तीसगढ़	441	208	1.28	516	230	1.42	265	120	0.66
दिल्ली	376	124	1.04	295	85	0.77	111	39	0.24
गोवा	116	48	0.29	50	30	0.13	25	17	0.06
गुजरात	2722	914	6.47	2731	918	6.54	1006	365	2.51
हरियाणा	772	78	2.04	1029	130	2.71	516	46	1.42
हिमाचल प्रदेश	32	9	0.09	51	20	0.13	20	10	0.05
जम्मू और कश्मीर	8898	2846	22.14	9392	3337	23.83	2837	1049	7.10
झारखंड	232	34	0.59	685	95	1.94	263	31	0.83
कर्नाटक	22510	9806	56.59	22161	9533	55.79	9727	4316	24.66
केरल	29630	20132	80.81	32790	21855	89.80	19890	13710	55.01
लद्दाख	130	66	0.30	81	47	0.22	9	7	0.05
मध्य प्रदेश	2216	831	6.53	2530	868	7.30	1263	419	3.69
महाराष्ट्र	2187	602	7.14	2335	655	7.74	907	272	3.11
मणिपुर	282	137	0.81	338	159	0.94	130	63	0.39
मेघालय	1165	616	2.63	601	333	1.51	210	135	0.52
मिजोरम	46	24	0.11	107	48	0.23	48	19	0.10
नागालैंड	1193	556	3.01	1258	594	3.13	569	271	1.47
ओडिशा	392	69	1.08	466	94	1.29	178	32	0.46
पुदुचेरी	44	24	0.09	48	27	0.12	26	17	0.06
पंजाब	1829	1236	5.06	1716	1165	4.76	779	525	2.12
राजस्थान	3173	708	8.52	2907	617	7.97	1550	337	4.31
सिक्किम	34	20	0.05	51	20	0.08	11	6	0.02
तमिलनाडु	5295	2365	13.48	6856	2634	17.55	3674	1410	9.48
तेलंगाना	4065	1404	10.80	4757	1517	12.82	1999	584	5.38
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7	0	0.07	8	1	0.06	5	1	0.01
त्रिपुरा	111	34	0.28	94	27	0.24	37	11	0.09
उत्तराखंड	496	134	1.44	658	167	1.69	288	77	0.75
उत्तर प्रदेश	10154	1992	26.19	12387	2587	32.10	5385	1037	13.96
पश्चिम बंगाल	4856	1348	14.54	6764	2113	19.90	1600	394	4.89
<b>कुल</b>	<b>120371</b>	<b>50255</b>	<b>317.84</b>	<b>131810</b>	<b>55128</b>	<b>352.91</b>	<b>58430</b>	<b>26260</b>	<b>157.07</b>

स्रोत: एनएसपी/एनआईसी डेटाबेस।

\*वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े अंतिम हैं।

\*\*वित्त वर्ष 2023-24 - योजना को मंजूरी नहीं दी गई।